in the Indian Ocean area in the Bay of Bengal?

SHRI Y. B. CHAVAN: No, Madam.

DIWAN CHAMAN LALL: May I ask how long this matter of the acquisition of submarines has been under the consideration of the Government?

SHRI Y. B. CHAVAN: For quite a long time. It will still take some more time.

SHRI N. M. LINGAM: What is the machinery at the disposal of the Government to detect the presence of hostile submarines in our waters?

SHRI Y. B. CHAVAN: Madam, I do not think I can discuss this matter here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next question.

•2. [Postponed to *the* 3rd March, 1964.]

चीनी दूतावास के अधिकारियों द्वारा एक डाकिये का पीटा जाना

*३. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि हाल ही में चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने एक डाकिए को पीटा और जो इन्सपैक्टर जांच पड़ताल करने गया उसे रोक लिया और उसे तब ही छोड़ा जब उन्होंने उससे यह लिखा लिया कि डाकिये की शिकायत गलत थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम निकला ?

† [BELABOURING OP A POSTMAN BY CHINESE EMBASSY OFFICIALS

•3. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaint to effect that recently the staff of the Chinese Embassy belaboured a postman and detained the inspector who went there for investigation and released him only after they got in writing from him that the complaint made by the postman was incorrect; and

(b) if so, what action Government have taken in this connection and with what results?]

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने इस विषय में चीनी राजदूतावास के अशोभन व्यवहार के प्रति ३१ दिसम्बर १९६३ को एक विरोध-पत्र भेजा था । चीनी राजदूतावास ने अपने जवाब में इन आरोपों को निराधार बतलाने की चेष्टा की । भारत सरकार ने २१ जनवरी १९६४ को फिर एक नोट भेजते हुए बतलाया कि शिकायतें सही हैं और यह आशा प्रकट की कि इस प्रकार की अशोभन घटनायें भविष्य में न हुआ करेंगी ।

THE DEPUTY MINISTER IN THH MINISTRY OP EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Yes, Madam.

(b) Government protested on 31-12-1963 to the Chinese Embassy against the unseemly behaviour of the Embassy in the matter. The Embassy in their reply tried to make out that the allegations were incorrect. The Government of India in a further note dated January 21, 1964 pointed out that the objectionable behaviour had been fully established and expressed the hope that such unseemly incident? would not be repeated in? future.!

†[] English translation.

श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या चीन के दूतावास से कुछ इस प्रकार की कोई सूचना मिली थी कि पोस्टमैन के शिकायत की जांच करने के लिये जो इन्सपैक्टर वहां गया था उसको रोके जाने और पोस्टमैन को पीटने की बात उन्होंने स्वीकार नहीं की ?

श्री दिनेश सिंह : जी, उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह इन्सपैक्टर आया था और उसने जांच की और उसने जांच में यह फैसला किया कि वह बात सही नहीं थी। घटना इस प्रकार हुई कि वह पोस्टमैन वहां पर कुछ डाक देने गया था। उसने वहां पर घंटी बजाई और उसके बाद उन्होंने उसको अन्दर बुलाया और वहां पर उसके साथ कुछ मारपीट की। इसकी जांच के लिये बाद में एक इन्सपैक्टर गया था तो उन्होंने इन्स-पैक्टर से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और बीच में जब वह पोस्टमैन वहां फिर से डाक देने आया तो उन्होंने उसको अंदर बुलाया और उससे जबर्दस्ती यह लिखवा लिया कि यह रिपोर्ट जो है वह ग़लत है।

श्री ए० बी० वाजपेयी : चीनी अधिकारी भारत की भूमि पर रह कर हमारे अफसरों का अपमान करें, उनके साथ बल प्रयोग करें, क्या सरकार के पास इसका उत्तर केवल विरोध-पत्र भेजना है ? उन अधिकारियों को क्यों नहीं कहा गया कि वे नई दिल्ली छोड़ कर पीकिंग चले जायें ?

श्री दिनेश सिंह : ये उनके आफिसर नहीं थे। जहां तक हमें पता चला वह यह है कि कुछ वहां उनके आदमी हैं जिन्होंने कि ऐसा किया और उनसे बहुत सख्ती से यह कहा गया है कि आयन्दा ऐसी कोई बातें न करें।

SHKI B. D. KHOBARAGADE: May I know whether it is a fact that no cognisance of this incident was taken in the beginning but it was taken only after some trade union officers had complained about this incident in their conference? If this is a fact, what were the reasons for not taking cognisance in the beginning?

SHRI DINESH SINGH: That is not true, Madam. I mentioned just now that the Inspector had gone there to enquire into the matter. That shows that cognisance was taken.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know whether there is no way open for our Government to stop such illegal activities of the Chinese here in India?

SHRI DINESH SINGH: This is one way of telling them that we shall deal with it more strictly if we come to hear of it again.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Taria.

†[**श्री ए० एम० तारिक़** : मैं नायब वज़ीर से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने फर्माया है कि कुछ ऐसे आदमी थे

†[ ] Hindi transliteration.

तो पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाकई वे चीनी आदमी थे और अगर ऐसा है तो क्या वे चाइनीज एम्बेसी के स्टाफ के थे और अगर वे स्टाफ के थे तो क्या डिपलोमेटिक कन्वेनशन के लिहाज से यह हकूमते हिन्द का फर्ज नहीं था कि उनको फौरन हिन्दुस्तान छोड़ने का हुक्म देती । अगर डिपलोमेटिक कन्वेनशन के लिहाज से यह दुरुस्त है तो हकूमते हिन्द ने नर्मी क्यों अख्तियार की ?]

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी अर्ज किया कि वे आफिसर नहीं थे क्योंकि अभी एक सवाल उठा था आफिसर होने का और मैंने अभी जवाब दिया था । जहां तक मुलाजिम का सवाल है, अब यह दिक्कत हमारे सामने है कि वे कौन से मुलाजिम हैं जिनको हम कहें कि यहां से वापस जायें । अगर आफिसर होते तो उनको आसानी से पहिचान सकते थे । तो यह सवाल उठ सकता था । इसीलिये मैंने अर्ज किया कि इन्सपैक्टर उसकी जांच करने गए थे और वहां पर पोस्टमैन भी था । लेकिन उसकी ठीक तरह से जांच नहीं हो सकी । इसलिये मैंने कहा कि इस मामले में हमने उनसे सख्ती से कहा है कि आइन्दा वे ऐसा न करें और आइन्दा अगर फिर इस तरह का सवाल ठेगा तो जाहिर है और ज्यादा सख्ती से हम उसमें बर्ताव करेंगे ।

SHRI B. K. P. SINHA: I would like to know whether the persons concerned were Chinese nationals or Indian nationals. If they were Indian nationals, I would like to know il diplomatic immunity applies even to the Indian nationals employed in the Chinese Embassy?

SHRI DINESH SINGH: They were obviously Chinese nationals, Madam. I mentioned that in the beginning— that they were Chinese people.

SHRI SANTOSH KUMAR BASU: Will the hon. Minister make it perfectly clear to the Chinese Embassy that diplomatic immunity is dependent upon a corresponding sense of responsibility and good behaviour and that otherwise it would be withdrawn?

SHRI DINESH SINGH: That is what has been conveyed, Madam.

SHRI A. D. MANI: Was it ever suggested to the Government that they should ask for the recall of the official concerned who took the law in his own hands, at least for vindicating the majesty of our law?

SHRI DINESH SINGH: I have already answered that.

श्री सैयद अहमद : मैं सिर्फ एक बात मालूम करना चाहता हूं कि क्या इन्सपैक्टर ने और उस पोस्टमैन ने जिसके ऊपर ज्यादती की गई और मारपीट की गई, क्या उन लोगों ने यह कहा कि हम इन आफिसर्ज को पहिचान नहीं सकेंगे ? क्या ऐसा आपके रिकार्ड में है ?

SHRI DINESH SINGH: I could not hear the last part of the question.

श्री सैयद अहमद : सवाल यह पैदा होता है कि अगर वे पहिचाने जा सकते थे और वे चाइनीज आफिसर्स थे जिन पर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अप्लाई होती थी तो आप एक नोट भेज सकते थे, मगर अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अप्लाई नहीं होती थी तो उनके ऊपर मुल्क का जो साधारण कानून है उसके मुताबिक अगर जुर्म किया तो मुकद्दमा चलाया जा सकता था । आपने यह फर्माया कि वे लोग पहिचाने नहीं जा सकते तो क्या इन्सपैक्टर ने और पोस्टमैन ने यह कहा कि हम पहिचान नहीं सकेंगे ? क्या कोई ऐसा बयान दिया था जिसकी वजह से आप कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अर्ज किया कि इसी को जानने के लिये इन्सपैक्टर वहां पर

गए थे लेकिन वे अपने काम को पूरा नहीं कर सके । वहां उन्होंने ठीक से उनसे बातें नहीं कीं । जहां तक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का सवाल है, जितने यहां पर चाइनीज एम्बेसी में चाइनीज आफिसर्स काम करते हैं उनके ऊपर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is whether they were &ble to identify.

SHRI DINESH SINGH: They were not, Madarn.

सरदार रघबीर सिंह पंजहजारी : क्या वजीर साहब बतलायेंगे कि इन्सपैक्टर की रिपोर्ट आने के बाद पोस्ट आफिस या एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का कोई बड़ा आफिसर इस चीज की जांच करने के लिये गया या नहीं कि जब इन्सपैक्टर वहां जांच करने के लिये गया तो वाकई उससे जबर्दस्ती दस्तखत करा लिए गए कि कोई शिकायत नहीं है ?

श्री दिनेश सिंह : एम्बेसी के मामले में इस तरह की इन्क्वायरी करने का कायदा नहीं है । उनसे लिखापढ़ी ही की जाती है और वह हमने की ।

लाठीटीला गांव पर पाकिस्तानी सेनाओं कब्जा

*४. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में करीमगंज के पास लाठीटीला गांव पर पाकिस्तान की सेनाओं ने कब से कब्जा कर रखा है ; और

(ख) कितना क्षेत्र उनके कब्जे में है और वहां भारत के कितने नागरिक रहते हैं ?

†CLATHTTILLA VILLAGE UNDER PAKISTANI FORCES OCCUPATION

•4. SHRI V. M. CHORDIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the date from which Pakistani forces have been in occupation of the Lathitilla village near Karimganj in Assam; and

(b) the extent of the area under their occupation and the number of Indian citizens who reside there?]

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) लाठीटीला में पाकिस्तानियों ने १९६२ में प्रवेश किया । इस क्षेत्र में सीमांकन की ठीक रेखा कहां हो, इस पर विवाद रहा है । इस क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के ठीक-ठीक रेखांकन के विषय में पाकिस्तान के साथ समझौता करने की अब तक जो कोशिशें की गई हैं, वे कामयाब नहीं हुई हैं । जुलाई १९६३ में दोनों तरफ के सैनिक कमांडरों की मीटिंग होने के बाद, हमारे गश्ती सैनिक इस इलाके में गश्त करने नहीं गए, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने इस समझौते का पालन नहीं किया ।

(ख) लाठीटीला का क्षेत्रफल ३६३ बीघा है । इसकी आबादी लगभग १३७ आदमियों की थी ।

†THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DINESH SINGH): (a) Pakistani intrusions into Lathitilla village date back to 1962. There has been a dispute over the exact line of demarcation in this area. Efforts made so far, to reach an agreement with Pakistan, on the correct alignment of the international boundary in this area have, not succeeded. Following the meeting of the Military Commanders of the two sides in July 1963, our patrols have desisted from patrolling in this

†[ ] English translation.